

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2008

दिनांक: देहरादून :: 14 मार्च, 2008

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपडित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के संज्ञपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची-11(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-11(ख) के क्रमांक 127 की वर्तमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

Balance aquatic feed
Balanced cattle feed
Balanced cattle feed.

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 194/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ विज्ञान अनुभाग 8 में अक्लिम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिकांश फाईल हेतु।

आयुक्त कर
देहरादून

170308

आज्ञा से,
(सी०एस०सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त, 1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 194/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 14 March, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 194/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008

Dehradun :: Dated: : 14 March, 2008


Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II(B) of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007-

Amendment

The existing entry at Sl.No. 127 of Schedule-II(B) shall be deleted.


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE